उत्तर प्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2
संख्याः 1063/71–2–2009
लखनऊःदिनांकः 23 जनवरी, 2009

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में पृथक से यूनानी निदेशालय की स्थापना का निर्णय शासन के कार्यालय संख्या 6441/71–2–08–309/89 दिनांक 11–10–2008 द्वारा लिया गया है, जिसके संचालन हेतु शासनादेश संख्याः सी0एम0 443/71–2–2008–309/89 टी0सी0 दिनांक 12–12–2008 द्वारा आवश्यक पदों का सृजन करते हुए शासन के कार्यालय आदेश संख्याः102/71–2–2008/ 309/89 टी0सी0 दिनांक 3–1–2009 द्वारा निदेशक, यूनानी की तैनाती की जा चुकी है तथा श्री सत्येन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव, उ0 प्र0 शासन द्वारा कार्यवाहक निदेशक यूनानी के रूप में दिनांक 3–1–2009 को कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

यूनानी निदेशालय की पृथक से स्थापना होने के उपरान्त प्रदेश में यूनानी सेवा क्षेत्र के चिकित्सालयों, यूनानी मेडिकल कालेजों, यूनानी औषधि निर्माणशाला आदि से सम्बन्धित समस्त अधिष्ठान/बजट आदि सम्बन्धी कार्य किये जाने हेतु निदेशक, यूनानी को एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है। उक्त तिथि से निदेशक, आयुर्वेद के द्वारा अब केवल आयुर्वेद से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन ही किया जायेगा।

हरभजन सिंह
सचिव।

संख्याः 1063(1)/71–2–2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, आयुर्वेदिक सेवायें, उ0 प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यूनानी विधा से सम्बन्धित समस्त सुसंगत अभिलेख/विवरण/पत्रावलियां यूनानी निदेशालय को हस्तान्तरित कराने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
2– निदेशक, यूनानी सेवाएं, उ0 प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्याः23/अधि/2009 दिनांक 21–1–09 के सन्दर्भ में।
3– समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
4– समस्त क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उ0प्र0।
5– अधीक्षक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, उ0प्र0, लखनऊ/पीलीभीत।
6– रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
7– वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3
8– महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
9– गार्ड फाइल

आज्ञा से,
(सत्येन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।